राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 09/2025

प्रार्थी/सायल	बनाम	अप्रार्थी/गैर सायल
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **पीपराली**		**मोटाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी पीपराली** तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 06.10.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का **पीपराली** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **पीपराली** के ख.न. **637/2** रकबा **0.1700** हैक्टेयर किस्म बरानी सोयम(राजकीय भूमि) में से **0.0280 हैक्टैयर** पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाजरा बोकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि को सायल् हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल् को सुनवाई का पूनः अवसर दिया जाकर पत्रावली 06.10.2025 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का दुबारा मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन–तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बारानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.26 का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए **50** रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत काश्त की गई फसल को कुर्क कर सरकारी तहसील में लेने तथा नियमानुसार निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दियें जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली, कुर्की की निलामी हेतु हल्का पटवारी व भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Solanki
Date: 2025.10.28 10:48:54
Reason: SelfAttested

(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस)
तहसीलदार गुड़ामालानी